एस. एस. संधवालिया सी. जे. और आर. एन. मित्तल *के समक्ष*

दया नंद चौधरी,-याचिकाकर्ता, बनाम

एच. एल. सोंध और अन्य,-उत्तरदाता।

1980 की सिविल रिट याचिका सं. 2140।

17 दिसंबर, 1980।

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम *(1961* का XXV)-खंड *55* और *68* (1) (एच)-सहकारी समितियों की समितियों के चुनाव के नियम-नियम *6*-भारत का संविधान *1950*-अनुच्छेद 226-केंद्रीय समिति की प्रबंध समिति के लिए चुनाव-एक सदस्य समाज के प्रतिनिधि का नाम जो मतदाता सूची में शामिल नहीं है-ऐसा प्रतिनिधि-क्या उसके नाम को शामिल न करने को चुनौती देने का अधिस्थिति है-खंड 55 के तहत संदर्भ का उपाय-क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* के उद्देश्यों के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है।

आयोजित, सहकारी समितियों की समितियों के चुनाव के नियमों के उस नियम 6 में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो सदस्य सहकारी समिति का विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि है, उसे उस क्षेत्र में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया जा सकता है जिसमें वह मतदाता के रूप में सूचीबद्ध है।इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सदस्य समाज का प्रतिनिधि केंद्रीय समाज की प्रबंध समिति का चुनाव लड़ने का हकदार हो जाता है और इस परिस्थिति के कारण कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया गया है, उसे उस चुनाव को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।यह अच्छी तरह से तय है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार से वंचित किया गया है, तो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार है।(पैरा 6)।

अमर सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य।*1974* का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 710 *17* अप्रैल, 1975 को तय किया गया।

खारिज किया गया ।

माना गया कि पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 की **धारा** 55 (2) (सी) विवादों से संबंधित है **जिनका** मध्यस्थता के लिए **संज्ञान लिया जा सकता है** खंड 55 की उप-खंड (1) में कहा गया है कि यदि किसी सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय को छूने वाला कोई **विवाद** उत्पन्न होता है, तो ऐसा **विवाद** निर्णय के लिए पंजीयक को भेजा जाएगा और किसी भी न्यायालय को ऐसे **विवाद** के संबंध में किसी भी मुकदमा या अन्य कार्यवाही को स्वीकार करने की अधिकार क्षेत्र नहीं **होगा**। उस खंड की उप-खंड (2) में यह कहा गया है कि सोसाइटी के किसी अधिकारी के चुनाव के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होता है, वह उप-खंड (1) के प्रयोजनों के लिए किसी सहकारी सोसाइटी के **गठन**, प्रबंधन या व्यवसाय को छूते हुए विवाद है। उप-धारा (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि चुनाव मामलों से संबंधित सभी विवाद

निर्णय के लिए पंजीयक को भेजा जाना चाहिए। पंजीयक का आदेश अधिनियम की धारा 68 (1) (एच) के तहत अपील योग्य है। यह अच्छी तरह से तय है कि यदि किसी याचिकाकर्ता के लिए कोई वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उस मामले में हस्तक्षेप करने से से दूर हटता है।अधिनियम की खंड 55 के तहत उपलब्ध उपचार संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रयोजनों के लिए एक प्रभावी, वैकल्पिक उपचार है। (पैरा 7 &9).

प्रेम सिंह, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता सी. आर. दह्या के साथ अधिवक्ता

आर. के. वर्मा, डी. ए. जी. हरियाणा, राज्य के लिए।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता सी. बी. गोयल।

न्याय

आर. एन. मित्तल जे.

(1) संक्षेप में, तथ्य यह हैं कि हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड, चंडीगढ़ (जिसे इसके बाद कॉन्फेड के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधीन हरियाणा राज्य में विभिन्न केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता स्टोर लिमिटेड हैं और नारनौल सेंट्रल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर लिमिटेड, नारनौल (जिसे इसके बाद नारनौल सेंट्रल स्टोर कहा जाता है) उनमें से एक है।याचिकाकर्ता नारनौल सेंट्रल स्टोर के सदस्य और उपाध्यक्ष हैं।केंद्रीय भंडार संघ की प्रबंध समिति के सदस्यों का चुनाव करने के लिए एक-एक प्रतिनिधि भेजने के हकदार हैं।एक प्रतिनिधि का चुनाव आदेश के लिए, 21 दिसंबर, 1979 को नारनौल सेंट्रल स्टोर की एक बैठक हुई, जिसमें याचिकाकर्ता को चुना गया।इस प्रकार चुने गए सदस्य प्रबंध समिति की सदस्यता के लिए खड़े होने के हकदार हैं।

(2) सहकारी समितियों के पंजीयक, हरियाणा ने संघ की प्रबंध समिति के चुनाव के लिए एक चुनाव कार्यक्रम तैयार किया और चुनाव के लिए 15 जुलाई, 1980 निर्धारित किया।श्री एच. एल. सोंध, अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 1, को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। चुनाव कार्यक्रम 23 मई, 1980 को सभी केंद्रीय भंडार गृहों को भेजा गया था। उपरोक्त पत्र के जवाब में नारनौल केन्द्रिय भंडार गृह ने 21 दिसंबर, 1979 को प्रस्ताव भेजा, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 26 मई, 1980 को एक अग्रेषण पत्र के साथ इसका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, जिसे प्रबंध निदेशक, कॉन्फेड, चंडीगढ़ को भेजा गया था।

आगे यह भी कहा गया है कि मतदाता सूची प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता का नाम उस सूची से बाहर रखा गया था।16 जून, 1980 को याचिकाकर्ता के साथ-साथ राम पाल सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 ने सहकारी समितियों की समितियों के चुनाव के नियमों के नियम 6 के अनुसार, क्षेत्र संख्या 10 से अपने नामांकन पत्र दाखिल किए (जिसे इसके बाद चुनाव नियम के रूप में संदर्भित किया गया है)।प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के नामांकन पत्रों को अस्वीकार कर दिया और प्रतिवादी संख्या 2 के नामांकन पत्रों को स्वीकार कर लिया।याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका द्वारा से उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी है।

(3) प्रतिवादी ने रिट याचिका का विरोध किया है और अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया है कि नारनौल सेंट्रल स्टोर ने याचिकाकर्ता को 28 दिसंबर, 1979 को होने वाले चुनाव अन्य बातों के साथ साथ भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त करने का संकल्प लिया, जबकि उस तारीख को कोई चुनाव नहीं होना था।21 दिसंबर, 1979 को कॉन्फेड के प्रबंध निदेशक को भेजे गए प्रस्ताव की चुनाव से कोई प्रासंगिकता नहीं थी और इसलिए उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया था।उन्होंने दो प्रारंभिक आपत्तियाँ भी उठाई हैं, पहला, कि याचिकाकर्ता के बजाय नारनौल सेंट्रल स्टोर एक रिट याचिका दायर करने का हकदार है, और दूसरा, कि याचिकाकर्ता के लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और इसलिए, कोई भी रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।

(4) रिट याचिका मेरे सामने अकेले बैठकर सूचीबद्ध की गई थी।प्रारंभिक आपत्तियों पर निर्णयों का टकराव था।इसलिए, मैंने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।इस तरह मामला हमारे सामने सूचीबद्ध किया गया है।

(5) प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि नारनौल सेंट्रल स्टोर कॉन्फेड का सदस्य है और इसलिए, यदि इसके प्रतिनिधि को मतदाताओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो यह वह स्टोर है जो उस आदेश के खिलाफ पीड़ित है, न कि याचिकाकर्ता। यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें रिट याचिका दायर करने के लिए भी अधिकृत नहीं किया गया है।उनके अनुसार, उस स्थिति में यह नारनौल केन्द्रीय भंडार गृह है जो रिट याचिका दायर कर सकता है ना कि याचिकाकर्ता।

(6) हमने विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया है लेकिन इसे प्रतिग्रहण करना करने में अपनी असमर्थता पर खेद है।चुनाव नियमों के नियम 6 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति, जो सदस्य सहकारी समिति का विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि है, को उस क्षेत्र में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया जा सकता है जिसमें वह मतदाता के रूप मे सूचीबद्ध है। उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता एक प्रतिनिधि के रूप में हकदार हो जाता है

नारनौल सेंट्रल स्टोर का कॉन्फेड की प्रबंध समिति का चुनाव लड़ने के लिए हकदार हो जाता है । इस परिस्थिति के कारण कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया गया है,

उन्हें उस चुनाव को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।इस प्रकार, उन्हें उनके कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया है।यह अच्छी तरह से तय है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार से वंचित किया गया है, तो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार है।कुछ ऐसा ही मामला मेरे सामने सुनवाई के लिए आया (शमशेर सिंह, निदेशक, हरियाणा राज्य सहकारी संघ, चंडीगढ़ बनाम पंजीयक, सहकारी समितियाँ, हरियाणा और एक अन्य (1)।उस मामले में, याचिकाकर्ता सहकारी समिति का सदस्य था और जिला सहकारी संघ में उस समिति का प्रतिनिधित्व कर रहा था।उन्हें जिला सहकारी संघ के निदेशक के रूप में भी चुना गया था।सहकारी समितियों के पंजीयक ने गुड़गांव के राजस्व जिले के पुनर्गठन के कारण याचिकाकर्ता को निदेशक के कार्यालय से हटाने का आदेश पारित किया।उन्होंने इस आदेश को इस अदालत में चुनौती दी।एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि यह सहकारी समिति थी, जिसका प्रतिनिधित्व उनके द्वारा किया गया था, जिसमें वाद हेतुक था न कि याचिकाकर्ता।आपत्ति को खारिज कर दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को (अमर सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य) (2) के संदर्भ में प्रतिवादी के वकील के लिए रिट petition.The दाखिल करने का अधिकार है।उस मामले में, प्रतिवादी के वकील द्वारा इसी तरह की आपत्ति उठाई गई थी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने आपत्ति को बरकरार रखा और कहा कि याचिकाकर्ता को उस सहकारी समिति के अधिस्थिति की अनुपस्थिति में में, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा था, रिट याचिका दायर करने का कोई अधिस्थिति नहीं है।विद्वान न्यायाधीश के प्रति बहुत सम्मान के साथ, हम उस दृष्टिकोण का समर्थन करने में असमर्थ हैं। नतीजतन, हम उक्त निर्णय को रद्द कर देते हैं।उपरोक्त कारणों से, हम इस प्रारंभिक आपत्ति में कोई सार नहीं पाते हैं।

(7) प्रतिवादी के वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था और परिणामस्वरूप वह रिट याचिका दायर करने का **अधिकार नहीं दिया गया**। हमने विद्वान अधिवक्ता को बहुत लंबे समय तक सुना है।पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की खंड 55 (2) (सी) उन विवादों से संबंधित है जिन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है।खंड 55 की उप-खंड (1) में कहा गया है कि यदि किसी सहकारी समिति के संस्थान, प्रबंधन या व्यवसाय को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसा विवाद निर्णय के लिए पंजीयक को भेजा जाएगा।

(1) 1973 का सी. डब्ल्यू. 2329 20 दिसंबर, 1973 को तय किया गया।
(2) 1974 का सी. डब्ल्यू. 710 17 अप्रैल, 1975 को तय किया गया।

दया नंद चौधरी बनाम एच. एल. सोंध और अन्य (आर. एन. मित्तल, जे.) -

और किसी भी न्यायालय को ऐसे **विवाद** के संबंध में किसी भी मुकदमा या अन्य कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।उस खंड की उप-खंड (2) में, यह कहा गया है कि सोसाइटी के किसी अधिकारी के चुनाव के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होता है, वह उप-खंड (1) के प्रयोजनों के लिए किसी सहकारी सोसाइटी के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय **के साथ छेड़छाड़ हेतु** विवाद है। उप-धारा का सुसंगत भाग इस प्रकार हैः—

> "55. (2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित को सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित **छेड़छाड़ हेतु** विवाद माना जाएगा, अर्थात्ः—
>
> (a) .....
>
> (b) .....
>
> (c) सोसायटी के किसी अधिकारी के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई विवाद।"

उपरोक्त उप-धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि चुनाव मामलों से संबंधित सभी विवादों को निर्णय के लिए पंजीयक को भेजा जाना चाहिए।पंजीयक का आदेश अधिनियम की खंड 68 (1) (एच) के तहत अपील योग्य है। यह अच्छी तरह से तय है कि यदि किसी याचिकाकर्ता के लिए एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है, तो यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उस मामले में हस्तक्षेप करने से घृणा करता है।उपरोक्त दृष्टिकोण को नन्हू माई और अन्य बनाम हीरा माई और अन्य (3) से समर्थन मिलता है।उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पद के चुनाव को यू. पी. नगरपालिका अधिनियम में निर्धारित चुनाव याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। प्रतिवादी ने एक रिट याचिका द्वारा से राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि एन. पी. पोंटुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र (4) में न्यायालय के फैसले के बाद, चुनावों से संबंधित मामलों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आवेदनों पर विचार करने के लिए अदालतों के लिए शायद ही कोई जगह थी।

(3) ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2140।
(4) ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 64.

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि **चुनावी** मामलों में, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप करता है।अपने तर्क का समर्थन के लिए, उन्होंने राम सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य *(5)* **का संदर्भ दिया**। हालाँकि, उस मामले को अलग किया जा सकता है क्योंकि अधिनियम के अधिकारों को उसमें चुनौती दी गई थी।इन परिस्थितियों में, उस मामले में अनुपात याचिकाकर्ता के वकील के लिए कोई मददगार नहीं है। उन्होंने देविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (6) मामले में एक विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों का भी संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया था कि एक वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के मनोरंजन के लिए एक बाधा नहीं है। अवलोकन अप्राप्य हैं।हालांकि, आम तौर पर यदि कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, तो अदालतें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करती हैं और याचिकाकर्ता को वैकल्पिक रूप से प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठाने के लिए कहती हैं। अत्यधिक कठिनाई के कुछ मामलों में, यह न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है।

(9) वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले से ही ऊपर बताया गया है, अधिनियम की खंड 55 के तहत याचिकाकर्ता के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। यदि वे चाहें तो मामले पर निर्णय लेने के लिए पंजीयक **के पास जा** सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील का आग्रह है कि पंजीयक मामले पर शीघ्रता से निर्णय न ले और इस प्रकार मध्यस्थता का उद्देश्य विफल हो जाएगा।ऐसे मामलों में यह आवश्यक है कि पंजीयक मामलों का शीघ्रता से निर्णय करे।यदि याचिकाकर्ता द्वारा खंड 55 के तहत उसके समक्ष कोई निर्देश दिया जाता है, तो उसे उसी पर तेजी से निर्णय लेना चाहिए या जिस अधिकारी को यह सौंपा गया है, उसे उसी तरह निर्णय लेने का निर्देश देना चाहिए।

(10) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता के लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, मामले के गुण-दोष में जाना आवश्यक नहीं है।

(11) उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका को उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन खारिज कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

एस. एस. संधवालिया, सी. जे.-मैं सहमत हूँ।

(5) 1977 पी एल जे 281.
(6) 1973 पी एल जे 273.

~ एन. के. एस. ″

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक : गीता